(15)

APPENDIX VI

CERTIFICATE OF LAND

File No................ Date. 27-12-2018

Certified that land measuring 9885 Sq. Meters (Area of land in Sq. meters) situated in 1998, 1995 (Plot No. (s)/Survey No. (s) Khasra No. (s), at Allehpur Samaspur Teh. Bisauli (Name of street/ village, sub Division, district and state) fully described in the schedule mentioned hereinafter is owned by Smt. Rama Devi District Budaun (Name of owner) in terms of Rent Agreement (give details of document/ deed - i.e. sale deed/ perpetual lease deed/ gift deed/ will/ trust deed or other document of title) dated 01-2-2018 executed by Smt. Rama Devi Duly registered on 02-2-2018 (date) at Serial No. 1045/2018 in book no. I, volume no. 7222 on page 389 to 412 (complete details of registration) in the office of............(details of registration office). It is certified that the said entire land comprises of a single plot of land.

It is further certified that the owner of the land has leased the said land to Smt. Rama Devi (name of lease) vide lease deed dated 02-2-2018 for a period of 30 years duly registered on 2-2-2018 (date) at Serial No. 1045/18 in book no. I, volume no. 7222 on page 389 to 412 (complete details of registration in the office of S.R. Bisauli (Budaun) (details of registration office) and the land is still in possession of the lessee.

It is further certified that Vidhya Devi Ram Kumar Educational Social Commi. (Name of school with name of street/ village, sub-division and district) is located on the said plot of land. State Bank Road Islam Nagar (Budaun)

THE SCHEDULE OF LAND ABOVE REFERRED TO

All that piece and parcel of land measuring 9885 Sq.M. (area of land in square meters) situated in 1998 व 1995 [Plot No. (s)/ Survey No. (s)/Khasra No. (s)], at Allehpur Samaspur (name of street/ village, sub-division, district and state) and bounded as follows:

North. Road Islam Nagar - Bahjoi Road
East. Plot Virendra Prakash
West. House of Sanjy Pathak
South. Field Dharam Singh etc.

DISTRICT MAGISTRATE/ REGISTERING AURHORITY WITH DESIGNATION

(Name of Officer)
(Name of District)
Note: Strike off whichever is not applicable.

27.12.2018
सब. रजिस्ट्रार
बिसौली (बदायूँ)

Vidya Devi Ram Kumar Public School, Islamnagar Road, Bahjoi — Principal

न्यायालय उप जिलाधिकारी, बिसौली।

वाद संख्या– टी20161207024965 धारा 80 राजस्व संहिता

ग्राम–अल्लैहपुर समसपुर परगना इस्लामनगर

श्रीमती रमा देवी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

नकल आदेश दिनांक 4/11/16

04–11–2016 आज यह पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। वादिनी मय अधिवक्ता उपस्थित आयी। मैने वादिनी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुना तथा पत्रावली का भलीभांति अध्ययन किया। वादिनी के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में कहा गया कि ग्राम अल्लैहपुर समसपुर परगना इस्लामनगर तहसील बिसौली जिला बदायूँ में स्थित भूमि गाटा संख्या–1995 रकवा 0–412 है0(वादिनी का सम्पूर्ण भाग) गाटा संख्या 1998 रक्वा 0.504है0 में से 0.379है0 व गाटा संख्या 1998छ रक्वा 0.075है0 का 1/2 भाग(वादिनी का सम्पूर्ण भाग) भूराजस्व 43–95 पैसा की वादिनी संक्रमणीय भूमिधर एवं काबिज आराजी है। गाटा संख्या–1995 रकवा 0–412 है0(वादिनी का सम्पूर्ण भाग) गाटा संख्या 1998 रक्वा 0.504है0 में से 0.379है0 व गाटा संख्या 1998छ रक्वा 0.075है0 का 1/2 भाग(वादिनी का सम्पूर्ण भाग) वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, व वागवानी आदि का कार्य नही किया जा रहा है बल्कि वादग्रस्त भूमि पर वर्तमान समय में विद्यालय हेतु निर्माण कार्य चल रहा है। वादिनी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किया जा चुका है और तहसीलदार बिसौली द्वारा भी अपनी आख्या में उक्त भूमि को अकृषक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है इस लिए वादग्रस्त भूमि को अकृषक भूमि घोषित कर दिया जाये। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों एवं तहसीलदार बिसौली द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 18–10–2016 के अवलोकन से विदित है कि ग्राम अल्लैहपुर समसपुर परगना इस्लामनगर तहसील बिसौली जिला बदायूँ में स्थित भूमि गाटा संख्या–1995 रकवा 0–412 है0(वादिनी का सम्पूर्ण भाग) गाटा संख्या 1998 रक्वा 0.504है0 में से 0.379है0 व गाटा संख्या 1998छ रक्वा 0.075है0 का 1/2 भाग(वादिनी का सम्पूर्ण भाग) भूराजस्व 43–95 पैसा पर वादिनी का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य, कुकुट पालन, मत्स्य पालन, व वागवानी आदि का कार्य नही किया जा रहा है बल्कि वादग्रस्त भूमि पर विद्यालय हेतु निर्माण कार्य हो रहा है। तहसीलदार बिसौली द्वारा अपनी आख्या के अन्त में वादग्रस्त भूमि को अकृषक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल उद्धरण खतौनी वर्ष 1421–1426 फ0 ग्राम अल्लैपुर समस्पुर परगना इस्लामनगर तहसील बिसौली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि पर वादिनी का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। इसके अतिरिक्त पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि वादिनी द्वारा निर्धारित शुल्क अंकन 16570/–रू0 राजकीय कोष में जमा कर चालान की प्रति दाखिल की जा चुकी है। इस प्रकार तहसीलदार बिसौली द्वारा प्रस्तुत आख्या उचित होना प्रतीत होती है जिसके आधार पर वादग्रस्त भूमि को अकृषक भूमि घोषित किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं तहसीलदार बिसौली द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 18–10–2016 के आधार पर ग्राम अल्लैहपुर समसपुर परगना इस्लामनगर तहसील बिसौली जिला बदायूँ में स्थित भूमि गाटा संख्या–1995 रकवा 0–412 है0(वादिनी का सम्पूर्ण भाग) गाटा संख्या 1998 रक्वा 0.504है0 में से 0.379है0 व गाटा संख्या 1998छ रक्वा 0.075है0 का 1/2 भाग(वादिनी का सम्पूर्ण भाग) भूराजस्व 43–95 जोकि श्रीमती रमा देवी के नाम है को राजस्व संहिता की धारा–80(1) में निहित प्राविधानों के तहत न्यायहित में अकृषक भूमि घोषित कर भूराजस्व से मुक्त किया जाता है। तहसीलदार बिसौली द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 18–10–2016 प्रदर्श–क, नक्शा नजरी प्रदर्श–ख तथा चालान प्रदर्श–ग इस आदेश का अंग रहेगा। तदनुसार भू अभिलेखों में प्रविष्टि हेतु आदेश की एक–एक प्रति तहसीलदार एवं उप निबन्धक बिसौली को प्रेषित की जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार संचित की जाये।

उप जिलाधिकारी,
बिसौली।
04–11–2016

नम्बर 24
दिनांक 7-11-16
तैयारी की तिथि 11-11-16
नकल देने की तिथि 11-11-16
शब्द संख्या 310
कोर्ट फीस
प्रार्थी का नाम